सर्टिफिकेट पिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मॉड्यूल 2- जल उपभोक्ता समितियों की स्थिति

विषय 2.4 - देश में जल उपभोक्ता समितियों की वर्तमान स्थिति

विषय-2.4

जउस की सफलता के प्रमुख कारण तथा उनका भविष्य

मॉड्यूल-2 के विषय :

2.1 देश में जल उपभोक्ता समितियों (जउस) की वर्तमान स्थिति

2.2 जल उपभोक्ता समितियों (जउस) की समस्याएँ, मुद्दे और चुनौतियां

2.3 जउस तथा विभाग द्वारा अपनाई गई अनुकरणीय प्रथाएँ

2.4 जउस की सफलता के प्रमुख कारण तथा उनका भविष्य

1- जल उपभोक्ता समितियों (जउस) की सफलता के प्रमुख कारक

सफल जल उपभोक्ता समितियों (जउस) में पाए जाने वाले कुछ सामान्य लक्षणों की सूची नीचे दी गई है:

1. कार्यक्रम का समय समय पर मूल्यांकन तथा सुधार के लिए कदम।

2. किसानों की एक साथ काम करने की इच्छा ।

3. पारदर्शिता, कोई छिपा उद्देश्य नहीं।

4. उद्देश्यों पर आम सहमति

5. खुद तय किए गए नियमों का पालन

6. महिलाओं की भागीदारी

7. शुरुआत में कार्यक्रम मे भाग लेने तथा सफलता के लिए प्रोत्साहन ।

8. सिंचाई विभाग के बड़े अफसरों द्वारा रुचि प्रदर्शन

9. किसानों के साथ फील्ड स्टाफ का वास्तविक सहयोग

10. शुरुआती वर्षों के लिए डब्ल्यू यू ए को उनके दिन-प्रतिदिन के कार्य, पंजीकरण प्रक्रिया, दस्तावेजों के रखरखाव आदि कार्यों में क्षमता निर्माण के लिए किसी सक्षम गैर-सरकारी संगठन का सहयोग ।

11. लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली : लिखित संविधान, परिभाषित अधिकार, महिलाओं, लघु, सीमांत किसानों और समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा और भागीदारी

12. सामान्य सभा और प्रबंध समिति की नियमित बैठक

13. डब्ल्यू यू ए की वैधता: डब्ल्यू यू ए और सरकार के बीच समझौता ज्ञापन, कि किस हद तक सरकार डब्ल्यू यू ए से परामर्श लेगी और डब्ल्यू यू ए की उचित मांगों को किस प्रकार हल करेगी ।

उपरोक्त लक्षणों के अलावा, निम्नलिखित बातें भी जल उपभोक्ता समितियों (जउस) की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं:

1) *<u>डब्ल्यू यू ए के गठन से पूर्व समुदाय को गतिशील करने हेतु संवाद</u>*

यदि डब्ल्यू यू ए कार्यक्रम को भारत में सफल होना है, तो दोनों पक्षों अर्थात् एक ओर सिंचाई विभाग /कमांड क्षेत्र विकास विभाग /जल संसाधन विभाग और दूसरी ओर जल उपयोगकर्ताओं को टटोलने की आवश्यकता होगी कि वे किस हद तक इस कार्यक्रम में स्वयं को शामिल करने की इच्छा रखते हैं। अधिकांश पिम अधिनियमों को जल उपयोगकर्ताओं के परामर्श के बिना तैयार किया गया है। पिम अधिनियमों में जल प्रबंधन , प्रणाली संचालन और उसके

रखरखाव की जिम्मेदारियों को जल उपयोगकर्ताओं को, उनके समय और प्रयास के निवेश के लिए किसी भी मुआवजे के बिना, स्थानांतरित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है । पिम अधिनियमों में जल लेखा , जल ऑडिट तथा , जल बजट, जल वितरण और विवाद निस्तारण जैसे जटिल और परिष्कृत कार्यों का दायित्व डब्ल्यू यू ए को दिया गया है, जिनका न तो सिंचाई विभागों द्वारा प्रयास किया गया है और न ही विभाग के पास इसके लिए उपयुक्त कौशल मौजूद हैं । डब्ल्यू यू ए के पदाधिकारियों के दायित्व उनसे पूर्णकालिक कार्य करने की अपेक्षा रहते हैं । इसमें सदस्य किसानों से भी समय और नकद अंशदान की अपेक्षा की गई है । जब तक किसानों को विश्वास नहीं होगा कि मजबूत डब्ल्यू यू ए का गठन होने पर उनके श्रम और धन अंशदान के लिए पर्याप्त मुआवजा और दीर्घकालिक लाभ मिलेगा , तब तक वे इस कार्यक्रम के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे । अत: डब्ल्यू यू ए के गठन से पूर्व समुदाय को गतिशील करने हेतु उनसे संवाद-व्यवस्था स्थापित करके उनकी आशंकाओं का समाधान करना होगा जिसके लिए प्रायः गैर सरकारी संगठनों की भूमिका काफी प्रभावी पाई गई है।

2) ***<u>सिंचाई / सी ए डी एजेंसी का रवैया सहायक होना चाहिए।</u>***

जल संसाधन विभाग/ सी ए डी एजेंसी निर्माण कार्यों में अधिक रूचि रहते हैं, और बजट आवंटन तथा पूर्व स्वीकृत प्लान के मुताबिक काम करना उनकी प्राथमिकता है। इसलिए कृषकों की आवश्यकता के अनुरूप लचीलापन उनमें नहीं है। उनकी पिम सम्बन्धी गतिविधियाँ भी नहर प्रणाली के संचालन-प्रबंधन तंत्र और जल प्रबंधन को सुधारने के स्थान पर नहर प्रणाली के भौतिक पुनर्वास और आधुनिकीकरण पैकेज जैसे तकनीकी उपायों पर अधिक केंद्रित रहती हैं। ऐसी स्थिति में सिंचाई अधिकारी अकसर नहर संरचनाओं से छेड़छाड़ और अनधिकृत निकासी करने में किसानों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की शिकायत करते हैं । दूसरी ओर किसान नहरों के खराब रखरखाव और अपर्याप्त संचालन,

सिंचाई अधिकारियों की अनुपलब्धता, उनके पितृवादी रवैये और क्षेत्र की सिंचाई जरूरतों के प्रति उनकी उदासीनता की शिकायत करते हैं।

इसलिए जरूरी है की जल संसाधन विभाग और सी ए डी विभाग किसान की जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहें और पिम कार्ययोजना में उनकी प्राथमिकताओं को शामिल करने लायक लचीलापन रखा जाये।

3) <u>सिंचाई एजेंसी को डब्ल्यू यू ए के प्रति जवाबदेह होना चाहिए ।</u>

यह स्पष्ट है कि सिंचाई जल की भरोसेमंद आपूर्ति डब्ल्यू यू ए की स्थिरता के लिए बुनियादी आवश्यकता है । नहर से सिंचाई जल की अविश्वसनीय और अपर्याप्त उपलब्धता कृषकों द्वारा की जाने वाली सामूहिक कार्यवाही जैसे जल वितरण , फसल नियोजन आदि बेकार कर देती है । चूंकि सिंचाई विभाग पानी के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं, इसलिए डब्ल्यू यू ए की सफलता और स्थिरता काफी हद तक पिम को बढ़ावा देने की उनकी इच्छा और प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है । इससे निष्कर्ष निकलता है कि (क) डब्ल्यू यू ए के गठन और उसकी सफलता सुनिश्चित करने में जल संसाधन विभाग की भूमिका सर्वोपरि है और (ख) जल संसाधन विभाग को पानी की पर्याप्त और भरोसेमंद आपूर्ति के लिए डब्ल्यू यू ए के प्रति जवाबदेह होना चाहिए । हालांकि, (क) और (ख) भूमिकाएं कुछ हद तक जल संसाधन विभाग को असहज कर सकती हैं, क्योंकि जल संसाधन विभाग द्वारा मजबूत डब्ल्यू ए बनाने की दिशा में यह संस्थाएँ गुणवत्ता सेवा प्रदान करने के लिए जल संसाधन विभाग पर सदैव दबाव बनाए रखेगी।

अगर जल संसाधन विभाग, मेक्सिको और तुर्की जैसे देशो की तरह डब्ल्यू ए को सहयोग के लिए आगे आते हैं तो उनकी मनोवृत्ति में एक बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है,जिस पर ध्यान दिया जाना होगा ।

4) <u>डब्ल्यू यू ए को क्षेत्र में पहले से मौजूद सामाजिक पूंजी का उपयोग कर बनाया जाना चाहिए ।</u>

क्षेत्र में पहले से मौजूद स्थानीय संगठन जैसे सहकारी समितियां, ग्राम पंचायत या पारंपरिक जाति पंचायत , ऋण समितियां आदि सामाजिक पूंजी का बड़ा भंडार हैं । कई पिम कार्यक्रमों में यह देखा गया है कि जहां मजबूत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संस्कृति पहले से ही स्थापित है वहॉ डब्ल्यू यू ए का कामकाज अधिक सहभागी और लोकतांत्रिक है । डब्ल्यू यू ए आउटलेट स्तर (नहर प्रणाली का सबसे निचला हिस्सा) पर स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जाए तो डब्ल्यू यू ए अधिक लोकतांत्रिक और मजबूत बनेंगी।

5) <u>सही तरह के स्थानीय नेतृत्व की आवश्यकता है</u>

प्रारंभिक चरणों में स्थानीय स्तर के भरोसेमंद नेता समूह के भीतर और बाहर समर्थन जुटाने और सदस्यों के व्यवहार को अनुकूल करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं । आम तौर पर, यह देखा गया है कि डब्ल्यू यू ए के गठन और प्रारंभिक विकास के दौरान, स्थानीय ठेकेदार डब्ल्यू यू ए में बहुत सक्रिय रहते हैं, परन्तु उनका मुख्य उद्देश्य नहर प्रणाली की मरम्मत और रखरखाव के कार्य पर कब्जा ज़माना होता है। डब्ल्यू यू ए का गठन करने वाली एजेंसी को सावधान रहना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को डब्ल्यू यू ए प्रबंधन से दूर रखा जाए ।

भरोसेमंद नेता डब्ल्यू यू ए के सदस्यों को परस्पर सहयोग के लिए प्रेरित कर सकते हैं परन्तु लंबे समय तक लंबे समय तक किसी व्यक्ति विशेष पर आश्रित रहने से डब्ल्यू यू ए मजबूत और टिकाऊ नहीं बन पाएगी । एक अच्छी डब्ल्यू यू ए माना जाएगा जिसका गठन और प्रारंभिक विकास एक गतिशील और विश्वसनीय स्थानीय नेता द्वारा किया जाए , लेकिन जिसका संचालन बाद में एक निर्वाचित डब्ल्यूयूए समिति द्वारा किया जाए जो अपने बीच से डब्ल्यूयूए अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों का चुनाव करे ।

6) <u>लोक-संस्थाओं के निर्माण में समय लगता है।</u>

पिम अधिनियम के तहत डब्ल्यू यू ए बनाना और इसकी गिनती कराना आसान है, लेकिन इसे सिंचाई प्रबंधन की स्वतंत्र जिम्मेदार संस्था के रूप में विकसित करना प्रोमोटर एजेंसी द्वारा लगातार सुसंगत क्षमता निर्माण और हैंड-होल्डिंग प्रक्रिया पर निर्भर करता है । किसानों की भागीदारी के लिए सक्षम वातावरण तैयार करने तथा डब्ल्यू यू ए के एक संस्था के रूप में परिपक्व होने में 10 से 15 साल तक लग सकते हैं । डब्ल्यू यू ए के प्रारंभिक वर्षों के दौरान संगठनात्मक कार्यों , जैसे कार्यालय प्रबंध तथा प्रबंध समिति और सामान्य सभा की नियमित बैठकें आदि के लिए क्षमता निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। संगठनात्मक क्षमता परिपक्व होने के साथ साथ जल प्रबंधन क्षमता के विकास का कार्य चलना चाहिए ।

सिंचाई एजेंसी / सरकारी कर्मचारियों के बीच पिम के बारे में व्यापक गलत धारणा है कि उनकी भूमिका डब्ल्यू यू ए के चुनाव और उनके गठन के बाद समाप्त हो जाती है और एक बार एक डब्ल्यू यू ए का गठन होने के बाद, सिंचाई प्रणाली का रखरखाव , लागत तथा जल दर वसूली और अन्य जल प्रबंधन कार्यों के लिए डब्ल्यू यू ए पूरी तरह से जिम्मेदार है। सिंचाई एजेंसी के अधिकारियों को इस बात के लिए जागरूक करना होगा कि सिंचाई एजेंसी की भूमिका सतत सहायक की है, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां डब्ल्यू यू ए ने सिंचाई प्रबंधन के सभी पहलुओं पर दक्षता हासिल कर ली है । आम तौर पर डब्ल्यू यू ए स्वामित्व का तात्पर्य है कि वे कृषि विकास से संबंधित सिंचाई प्रणाली का रखरखाव , लागत तथा जल दर वसूली , अन्य जल प्रबंधन कार्यों और उपयोगकर्ता प्रतिनिधित्व के लिए जिम्मेदार हैं जबकि सिंचाई एजेंसी और अन्य लाइन एजेंसियों की सुविधादाता (सर्विस प्रोवाइडर), सहजकर्ता (फैसीलिटेटर) और नियामक (रेगुलेटर) की भूमिका जारी रहेगी।

7) <u>जल प्रबंधन के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।</u>

सिंचाई जल प्रबंधन एक सामाजिक-तकनीकी प्रक्रिया है और इसके लिए बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पारंपरिक सिंचाई विभाग केवल तब डब्ल्यू यू ए का समर्थन करने में सक्षम होंगे जब जल प्रबंधन प्रभाग / पीआईएम सेल स्थापित किए जाएं और ग्रामीण समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान, कृषि इंजीनियरिंग, कृषि जल प्रबंधन और उपयोग जैसे विषयों में कर्मचारी उपलब्ध हों । चूंकि सिंचाई विभाग में कार्यकारी अभियंताओं जैसे प्रमुख पदों पर पेशेवर सिंचाई प्रबंधक हैं, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि कृषि अभियंता ऐसे पदों पर शामिल होने के पात्र नहीं हैं ।

8) <u>डब्ल्यू यू ए को अपनी मुख्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।</u>

डब्ल्यू यू ए की मुख्य गतिविधि है , जल प्रबंधन

i) सही प्रकार से जल प्रबंधन करने के लिए और प्रणाली को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए रखरखाव की आवश्यकता है
ii) सिंचाई प्रणाली के रखरखाव के लिए धन की आवश्यकता होती है
iii) धन के संग्रह (सिंचाई सेवा शुल्क के माध्यम से) को स्थापित करने और व्यवस्थित करने और समुदाय के हित में सिंचाई प्रणाली का प्रबंधन करने के लिए, एक समुदाय आधारित प्रबंधन इकाई अर्थात डब्ल्यू यू ए की आवश्यकता है।

कई मामलों में डब्ल्यू यू ए का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण जल प्रबंधन की मुख्य गतिविधि के बजाय संगठनात्मक और वित्तीय पहलुओं (WUA अधिकारियों और सदस्यों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, कोषाध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण आदि) पर अधिक केंद्रित रहता है । यदि एक डब्ल्यू यू ए द्वारा बैठकों का नियमित आयोजन किया जाता है, लेकिन जल प्रबंधन में सुधार नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि डब्ल्यू यू ए अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुई ।

2- जल उपभोक्ता समितियों (जउस) का भविष्य:

डब्ल्यू यू ए की स्थापना के मुख्य उद्देश्य, अर्थात् नहर के पानी का कुशलतापूर्वक और किफ़ायती उपयोग करना, सिंचाई सुविधा के तहत अधिक क्षेत्र का विस्तार करने के लिए नहर के पानी की बचत करना, नहर के अंतिम छोर तक पानी का समान वितरण सुनिश्चित करना और नहर प्रणाली की मरम्मत देखभाल करना आदि किसानों की वास्तविक भागीदारी को तब तक आकर्षित नहीं करेंगे जब तक कि ये उद्देश्य स्पष्ट रूप से कृषि उत्पादकता और किसानों के लिए आय सृजन से जुड़े न हों । ऐसा होने के लिए, डब्ल्यू यू ए को उद्यमशीलता की सोच के साथ कृषि के लिए इनपुट प्रबंधन और उत्पाद की प्रोसेसिंग / मार्केटिंग की गतिविधियों के लिए अपना दायरा बढ़ाना चाहिए । डब्ल्यू यू ए को स्थानीय श्रम, उपलब्ध संसाधनों और मनरेगा, आत्मा (ATMA) , राष्ट्रीय बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी कृषक हितैषी विकास योजनाओं के उचित मिश्रण के माध्यम से ग्रामीण विकास का केंद्र बनना होगा ।

अनुभव और विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि जल प्रयोक्ता संघ आम तौर पर वित्त, दिन-प्रतिदिन के शासन और सिंचाई और कृषि प्रौद्योगिकी के मामले में विभागीय सहायता पर निर्भर हैं तथा विभाग की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य कर रहे हैं। उद्यमशीलता और स्थायित्व की दिशा में डब्ल्यू यू ए चलाने के लिए उपयुक्त स्थानीय नेतृत्व की कमी है । ऐसे में स्थानीय नेतृत्व के लिए सक्षम वातावरण बनाने की आवश्यकता है जो डब्ल्यू यू ए को एक उद्यमी संस्था के रूप में विकसित कर सके। एक उद्यमी डब्ल्यू यू ए की गतिविधियाँ निम्नलिखित होंगी:

1. किसानों की असंख्य जरूरतों को पूरा करने के लिए नये बाजार / विपणन रणनीतियां विकसित करना।
2. जल के नए स्रोतों की खोज करना, या तो संरक्षण के माध्यम से या कमान में सिंचाई जल के बेहतर प्रबंधन के माध्यम से।

3. डब्ल्यू यू ए की उद्यमशीलता उन्हें पानी की आपूर्ति, लागत और गुणवत्ता के मामले में तुलनात्मक लाभ स्थापित करने और बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी ।
4. डब्ल्यू यू ए को स्थानीय श्रम, उपलब्ध संसाधनों और मनरेगा, आत्मा (ATMA) , राष्ट्रीय बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी कृषक हितैषी विकास योजनाओं के उचित मिश्रण के माध्यम वस्तुओं, उत्पाद और सेवाओं का निर्माण किया जा सकेगा ।
5. लागत कम करने , कृषि की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों के लिए मूल्य-वर्धित उत्पाद बनाने के लिए नई प्रौद्योगिकियों (आईटी, संचार, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग आदि) को प्रोत्साहित करना।
6. कृषि क्षेत्र में रोजगार का सृजन करना संरक्षण सं चढ़ा की कोई फ़िल्म नहीं है ना ।

ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए कृषकों के मध्य उद्यमशीलता के गुणों और नजरिए के विकास में एक उद्यमशील डब्ल्यू यू ए की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रहेंगी ।